

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण

क्रमांक: एफ.61(24) ग्रावि./म.न./नि.सा.अ./सामा.अंके. कलैण्डर/10-11/ ७००/ जयपुर दिनांक: १२.८.११

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा),
समस्त राजस्थान।

विषय:- सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं का कार्यवाही विवरण निर्धारित प्रारूप में
अभिलिखित करवाने एवं एम.आई.एस. अपलोड करवाने के क्रम में।

महोदय (या),

उपर्युक्त विषयान्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 की धारा 17 (2) एवं अनुसूची-। पैरा 13(बी) के अनुसार राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं का आयोजन दिनांक 26.08.2010 (गुरुवार) से 16.09.2010 (गुरुवार) तक किया जायेगा। इन ग्राम सभाओं में सामाजिक अंकेक्षण समितियों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेंगी। राज्य की समस्त ग्राम सभाओं में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-8(क)(7) के अनुसार कार्यवाही विवरण अभिलिखित किया जायेगा। सामाजिक अंकेक्षण संबंधी कोई भी बिन्दु छूटे नहीं एवं राज्य की समस्त सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं के कार्यवाही विवरण अभिलिखित किये जाने में एकरूपता रहे इसके लिए एक प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। आपके जिले के समस्त कार्यक्रम एवं विकास अधिकारियों को निर्देशित करें कि इस प्रारूप में सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं का कार्यवाही विवरण अभिलिखित करवाना सुनिश्चित करें।

इसके साथ ही सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न होने पर इसका सम्पूर्ण विवरण www.nrega.nic.in पर उपलब्ध सामाजिक अंकेक्षण प्रपत्र (Social Audit Format) में सात दिवस में अपलोड करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आपके जिले के समस्त कार्यक्रम एवं विकास अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(सी.एस. राजन)
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रा० वि० एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक: एफ.61(24) ग्रावि. / म.न. / नि.सा.अ. / सामा.अंके. कलैण्डर / 10-11 / ७०६ (जयपुर दिनांक: १२.४.११

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर
3. निजी संचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ई.जी.एस.
4. अतिरिक्त आयुक्त प्रथम/द्वितीय, ईजीएस/ परियोजना निदेशक, ईजीएस
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राज.
6. परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद, समस्त राजस्थान
7. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

dksh
निदेशक
सामाजिक अंकेक्षण

सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा कार्यवाही विवरण रजिस्टर में अभिलिखित किए जाने वाले तथ्यों
का प्रारूप :—

1. ग्राम पंचायत का नाम —
2. ग्राम पंचायत क्षेत्र के गाँवों के नाम —
3. ग्राम सभा की बैठक की तिथि (दिनांक माह वर्ष)
4. सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की बैठक आरम्भ होने एवं समाप्त होने का समय.....बजे
से.....बजे तक (कुल घण्टे.....)
5. सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में कितने सदस्य (मतदाता) उपस्थित हुए -----
6. क्या कोरम पूरा हुआ है ? हॉ / नहीं
7. सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा अध्यक्ष (सरपंच अथवा अन्य व्यक्ति)

नाम	पदनाम	हस्ताक्षर

8. सामाजिक अंकेक्षण समिति के सदस्यों का विवरण —

क्र.सं	नाम	जॉब कार्ड नं०	हस्ताक्षर

9. सामाजिक अंकेक्षण समिति सहयोगियों (Facilitators) का विवरण—(एसडीएम द्वारा मनोनीत)

क्र.सं.	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर

10. सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में उपस्थित राजकीय विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों
का विवरण —

क्र.सं.	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर	मोबाइल नम्बर

11. ब्लॉक स्तरीय प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर एवं हस्ताक्षर -----
12. जिला स्तरीय प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर एवं हस्ताक्षर -----

13. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005, अनुसूची-I पैरा 13(बी) (xi) के प्रावधानानुसार ग्राम सभा से भिन्न व्यक्ति जिन्होंने सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में प्रेक्षक के रूप में भाग लिया, का विवरण –

क्र.सं.	नाम	पता एवं मोबाइल नं.	हस्ताक्षर

14. सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में भाग लेने वाले सदस्यों (मतदाताओं) का विवरण

क्र.सं.	नाम	पिता / पति का नाम	यदि नरेगा श्रमिक है तो जॉब कार्ड सं०	हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

15. कार्यवाही विवरण (सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् लिखा जावे) :-

- (1) सामाजिक अंकेक्षण अवधि ----- से ----- अवधि का कराया गया है।
- (2) कुल कार्यों की संख्या -----
- (3) कार्य जिनका सामाजिक अंकेक्षण हुआ -

क्र.सं.	कार्य का नाम	यूनिक कोड	कार्यकारी एजेन्सी	स्थीकृति राशि		व्यय राशि	
				श्रम	सामग्री	श्रम	सामग्री

- (4) कितने कार्य जो मौके पर होना नहीं पाये गये ?
- (i) कार्यवार विवरण –
- (ii) इन प्रकरणों में ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई –
- (5) कार्यों की संख्या जिसमें भौतिक सत्यापन में सामग्री की मात्रा माप पुस्तिका (M.B.) से कम पाई गयी ?
कितनी राशि कम पाई गई
- (6) कार्यों की संख्या जिसमें कार्य व सामग्री की गुणवत्ता घटिया पाई गई
- (7) कार्यों की संख्या जिसमें माप पुस्तिका (MB) में दर्ज माप व मौके पर स्थिति में भिन्नता है? विवरण दें

- (8) आकस्मिक मद (Contingency) में किये गये व्यय में कोई अनियमितता पाई गई?
यदि हाँ तो विवरण दें
- (9) निर्माण सामग्री का क्य प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा से किया गया या सामग्री चहेती फर्मों से क्य की?
- (10) रोकड़ बही संधारण में अनियमितता एवं निधियों के दुर्विनियोजन का पूर्ण विवरण –
- (i) प्रकरणों की संख्या -----
 - (ii) अनियमितता की राशि -----
 - (iii) वसूल की गई राशि -----
- (11) (i) जिन कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया है यदि वे कार्य पूर्ण हो गये हैं तो क्या यू.सी. व.सी.सी. जारी हो गया है? यदि नहीं तो क्यों लम्बित है व कितने कार्यों का ?
- (ii) ग्राम सभा में कितने कार्यों का यू.सी. व.सी.सी. जारी होकर समायोजित किया?
- (12) कितने कार्य तथमीने एवं निर्धारित मानदण्डों (Specification) के अनुसार पूर्ण हुए ?
- (13) कितने कार्य अधूरे पड़े हैं व क्यों?
- (14) कितने कार्यों में अनियमितता पाई गई? कार्यवार अनियमितताओं का संक्षेप में विवरण दें।
- 1.
 - 2.
 - 3.
- (15) परिवारों का पंजीयन करने में पाई गई अनियमिततायें -----
- (16) जॉब कार्ड सम्बन्धी पाई गई अनियमितताओं का विवरण -----
- (17) रोजगार हेतु आवेदन एवं तारीखी रसीद जारी करने में अनियमिततायें -----
- (18) रोजगार आवंटन में अनियमिततायें -----
- (19) कार्यों के चयन में अनियमिततायें -----
- (20) कार्यों का क्रियान्वयन -----
- (21) मस्टर रोल्स निरीक्षण के निष्कर्ष -----
- (22) मजदूरी के भुगतान में अनियमिततायें -----
- (23) पखवाड़ा पूरा होने के औसत कितने दिनों दिन के अंदर मजदूरों को भुगतान किया गया? यदि देरी तो क्यों?

(24) पंजीकृत परिवारों के विरुद्ध कितने प्रतिशत परिवार जिन्होंने 100 दिन का रोजगार प्राप्त किया%

(25) क्या सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक छः माह में हो रहा है ?

(26) सामाजिक अंकेक्षण का प्रचार-प्रसार, ग्राम सभा का समय जनता के लिए सुविधाजनक था, पूर्व के सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई, संबंधी विवरण।

16. ग्राम पंचायत की कार्य शैली पर ग्राम सभा सदस्यों की टिप्पणी व आम राय

17. सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त शिकायतों का विवरण एवं उनके निराकरण का विवरण

18. ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गये जनोपयोगी व अच्छे कार्यों का स्पष्ट विवरण जिससे रथायी परिसम्पत्तियों का निर्माण होकर ग्रामीणों को लाभ हुआ है

19. सामाजिक अंकेक्षण कार्यवाही विवरण लिखने वाले व्यक्ति का नाम ----- पदनाम ----- हस्ताक्षर -----

20. सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की समाप्ति पर कार्यवाही विवरण का समापन सदस्यों के समक्ष करने के पश्चात ग्राम सभा में भाग लेने वाले सदस्यों (मतदाताओं) के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी मय विवरण

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	यदि नरेगा श्रमिक है तो जॉब कार्ड सं०	हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी